आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

मैनुअल – सत्रह

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख)(xvii),

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभेक्ता मामले विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में किये गये गये कार्यों का विवरण प्रकाशित किया गया है । उक्त प्रगति विवरण की एक प्रति जन सामान्य की जानकारी हेतु निम्नवत् है :-

- **लक्षित सार्वजनिक प्रणाली**
  - राज्य में संचालित की जा रही उचित मूल्य दुकानों की संख्याः– 9,225
  - एन0एफ0एस0ए0 (पात्र गृहस्थियां) तथा नॉन–एन0एफ0एस0ए0 (ए0पी0एल0) की श्रेणियों के प्रकारः–(1) एन0एफ0एस0ए0, प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड) (2) एन0एफ0एस0ए0, अन्त्योदय (गुलाबी कार्ड) (3) राज्य खाद्य योजना (पीला कार्ड)
  - लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में राशन कार्डों की संख्याः–23,56,600
  - वर्ष 2019–2020 में 31 दिसम्बर, 2019 तक निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की मात्रा उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा वितरित की गयी हैं :–

सारणी

क्र0सं0	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण दिसम्बर, 2019 तक
1.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (गेहूँ)	मी0टन	97958.682
2.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (चावल)	मी0टन	160157.214
3.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (गेहूँ)	मी0टन	23060.620
4.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चावल)	मी0टन	38116.806
5.	राज्य खाद्य योजना (गेहूँ)	मी0टन	50803.226
6.	राज्य खाद्य योजना (चावल)	मी0टन	25557.544
7.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चीनी)	मी0टन	1334.023

- **डाटा डिजिटाईजेशन एवं आधार सीडिंगः–** राज्य के समस्त राशनकार्डों (NFSA/SFY) को शतप्रतिशत ऑनलाईन डिजिटाईजेशन करते हुये 95 % राशनकार्डों को आधार नम्बर से लिंक किया गया है। 77 प्रतिशत यूनिटों का आधार सीडिंग तथा कुल सीडेड यूनिटों का 62 प्रतिशत आधार वेलिडेशन यू0आई0डी0ए0आई0 के माध्यम से किया गया है । शीघ्र पूर्ण किये जाने का लक्ष्य ।
- **सप्लाई चेन ऑटोमेशनः–**एण्ड–टू–एण्ड कम्प्यूटराईजेशन के अन्तर्गत सप्लाई चेन (एफ0सी0आई0/बेस गोदाम से आन्तरिक गोदाम तक) रियल टाइम क्रियान्वयन प्रारम्भ। जिसके अन्तर्गत ऑनलाईन आवंटन, इन्डेन्ट, ट्रक चालान, ऑनलाईन रिसिविंग व डिलिवरी ऑर्डर का कार्य किया जा रहा है।
- **एफ0पी0एस0 ऑटोमेशनः–** राज्य के समस्त 9225 राशन की दुकानों को सी0एस0सी0 (सिस्टम इन्टिग्रेटर के रूप में) के माध्यम से ऑटोमेट किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत ऑनलाईन आवंटन, इन्डेन्ट, ट्रक चालान, ऑनलाईन रिसिविंग व डिलीवरी ऑर्डर का कार्य किया जा रहा है ।

- **<u>मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीद</u>** :–

  ➢ मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषकों से गेहूँ एवं धान की ऑनलाईन खरीद का साफ्टवेयर तैयार किया गया।

  ➢ विपणन सत्र 2019–20 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से 42495.935 मी0टन गेहूँ की खरीद की गयी है। किसानों को शत्प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।

  ➢ धान की खरीद वर्ष 2019–20 में 31 दिसम्बर, 2019 तक 196540.204 मी0टन (ग्रेड–ए) तथा 725260.381 मी0टन (कॉमन) की खरीद की जा चुकी है ।

- **<u>राज्य के काश्तकारों हेतु अतिरिक्त बोनस की घोषणा</u>** :-

  रबी–विपणन सत्र 2019–20 के अन्तर्गत गूंहँ खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य ` 1840.00 प्रति कु0 पर राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों को उनकी उपज का अधिक लाभ प्रदान करने हेतु ` 20.00 प्रति कु0 का अतिरिक्त बोनस दिया गया है।

- **<u>मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत ई–खरीद</u>** :-

  राज्य में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खरीफ–खरीद सत्र 2019–20 में धान का क्रय ई–खरीद सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है। जिसे भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खरीद पोर्टल (National Procurement Portal) पर प्रदर्शित किया जा रहा है ।